## ग्राम पंचायत गाहर, विकास खण्ड व तहसील भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के

## लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

### अंकेक्षण अवधि 01-04-2015 से 31-03-2018

### भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गाहर, विकास खण्ड भटियात , जिला चम्बा के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-**

**प्रधान:-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री राजकुमार | 23-01-11 से 31.3.18 तक |

**सचिव :**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री सुनील कुमार | 07/13 से 02-12-16 |
| 2. | श्री राज कुमार | 03-12-16 से 31.3.18 तक |

**{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-**

| क्रम संख्या | पैरा स० | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि {₹लाखों में } |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष | 0.07 |
| 2 | 6 | अनुदान राशियों का अवरोधन। | 14.27 |
| 3 | 7 | निर्माण सामग्री का दुर्विनियोजन | 0.16 |

**भाग- दो**

**2 वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत गाहर, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2015 से 31/03/2018 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30-06-2018 से 04 -07-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय गाहर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02/16, 03/17 व 06/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 08/15,10/16 व 03/18 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

**3 अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत गाहर, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01.04.15 से 31.3.18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹7200बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:181 दिनांक 04-07-18 द्वारा सचिव, पंचायत गाहर से अनुरोध किया गया।

**4 वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत गाहर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व स्त्रोत :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 132008 | 23769 | 155777 | 25115 | 130662 |
| 2016-17 | 130662 | 13685 | 144347 | 27858 | 116489 |
| 2017-18 | 116489 | 81560 | 198049 | 46599 | 151450 |

{ख} अनुदान :- ग्राम पंचायत गाहर के अवधि01.04.15 से 31.03.18 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 539908 | 2270745 | 2810653 | 2695890 | 114763 |
| 2016-17 | 114763 | 3708824 | 3823587 | 2477788 | 1345799 |
| 2016-18 | 1345799 | 3236119 | 4581918 | 3154482 | 1427436 |

दिनांक 31-3-18 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण:-

| क्रम सं | बैंक का नाम | खाता सं | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | HPSCB chowari | 18010105550 | 312000 |
| 2. | -----do------- | 18010110802 | 50264 |
| 3. | ------do------ | 18010117259 | 52979 |
| 4. | ------do------ | 18010110519 | 1163632 |
| 5. | ------do------ | 18010110803 | **0** |
| 6. | | cash in hand | 11 |
| | | **Total** | 1578886 |

बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-1 8 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1578886

(ख) दिनांक 31-3-1 8 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्त शेष (क+ख):-₹ 1578886

**5 पंचायत राजस्व ₹0.07 लाख वसूली हेतु शेष:-**

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 8 तक पंचायत राजस्व ₹6800 वसूली हेतु शेष था ।

**गृहकर :-**

| **वर्ष** | **आ. शेष** | **मांग** | **योग** | **प्रप्ति** | **वसूली हेतु शेष राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2350 | 6000 | 8350 | 0 | 8350 |
| 2016-17 | 8350 | 6050 | 14400 | 14400 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 6800 |

अतः उक्त बकाया वसूली को तुरन्त वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**6 अनुदान ₹ 14.27 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹1427436 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 179 दिनांक 04 -07-18 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत गाहर को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

**7 निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्री₹0.16 लाख का दुर्विनियोजन :-**

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु खरीदी गई निर्माण सामग्री से शेष बची सामग्री को न तो स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया गया है और न ही इस सामग्री की खपत किसी अन्य निर्माण कार्यों में दर्शायी गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क)C/O Boundry wall & pakki naliyan gps Kaman :-

| माप पुस्तिका सं व पृष्ठ सं | खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा (वाउचर सं 19माह 08/15) | माप पुस्तिका/अंकेक्षण की गणना अनुसार अपेक्षित उपयोग मात्रा | शेष बची निर्माण सामग्री | क्रय की गई दर | शेष बची सामग्री का मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 18596 पृष्ठ 19, 20 | 350ft रेत | 262ft | 88 ft | 40 | ₹3520 |

(ख)C/O protection wall near Ravi singh house :-

| माप पुस्तिका सं व पृष्ठ सं | खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा (वाउचर सं 19माह 08/15) | माप पुस्तिका/ऑडिट की गणना अनुसार अपेक्षित उपयोग मात्रा | शेष बची निर्माण सामग्री (वाउचर सं 19माह 08/15) | क्रय की गई दर (प्रति फुट) | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 पृष्ठ 85, 86 | 250ft रेत<br>600ft बजरी | 130ft<br>250ft | 120 ft<br>350 ft | 27<br>22 | 3240<br>7700 |
| | | | | **जोड़** | **₹10940** |

(ग)C/O protection wall near Ravi singh house :-

| माप पुस्तिका सं व पृष्ठ सं | खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा (वाउचर सं 19माह 08/15) | माप पुस्तिका/ऑडिट की गणना अनुसार अपेक्षित उपयोग मात्रा | शेष बची निर्माण सामग्री (वाउचर सं 19माह 08/15) | क्रय की गई दर (प्रति फुट) | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 18596 पृष्ठ 18 | 320ft रेत | 290ft | 30ft | 50 | 1500 |
| | | | कुल जोड़ (क+ख+ग) | | ₹15960 |

8 **निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे:-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना सं 180 दिनांक 04-07-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत गाहर को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

| क्रम सं | निर्माण कार्य का नाम | शीर्ष |
|---|---|---|
| 1. | पक्का रास्ता व रिटेनिंग वाल नागविन्त्रू ऐट रनोह | 14th FC |
| 2. | फूट ब्रिज शमशान घाट नजदीक तूर्नु नाला | Relief fund |
| 3. | शौचालय ऐट GPS खलेत्र | SBM fund |

9 **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं

किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**10 विविध अनियमितताएं :-**

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

11 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

12 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (xv)(vii) 37/2018 खण्ड–1–7691–7694 दिनांक 16.11.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

**पंजीकृत**

1 सचिव, ग्राम पंचायत गाहर, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881